(78)

`बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 417185 पटना, दिनांक 15/03/2019

ग्रा.वि.08-रुर्बन-01/2017

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार
वीरचन्द पटेल पथ, पटना ।

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2018-19 में "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत कुल 2140.80 लाख (इक्कीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार) रूपये की विमुक्ति एवं व्यय की स्वीकृति।**

आदेशः- **स्वीकृत ।**

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)"प्रारंभ किया गया है । मिशन का उद्धेश्य सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में 'रूर्बन क्लस्टर' नामक 300 ऐसे ग्रामीण विकास क्लस्टर तैयार करना है, जिनमें विकास की अधिक संभावनाएं हैं । आर्थिक कार्यकलापों के अवसर उपलब्ध कराते हुए, कौशल एवं स्थानीय उदयमशीलता के विकास के साथ अवसंरचना संबंधी सुविधा सहित इन क्लस्टरों का विकास किया जायेगा ।

2. यह योजना केन्द्र प्रायोजित योजना है, जिसमें केंद्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है । इसके अंतर्गत ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक- J-15017/01/2016- Rurban (Sl No. 42) दिनांक-30.01.2019 द्वारा द्वितीय चरण में चयनित क्लस्टर यथा 1. बरबत पासरैन (जिला- प0 चम्पारण, उप जिला- बेतिया) 2. करियन (जिला- समस्तीपुर उप जिला- शिवाजीनगर) 3. खोखा (जिला- पूर्णियाँ, उप जिला- श्रीनगर) हेतु सहायक अनुदान मद में 1620.00 लाख (सोलह करोड़ बीस लाख) रूपये विमुक्त किया गया है ।

उक्त केन्द्रांश का आनुपातिक राज्यांश 1080.00 लाख (दस करोड़ अस्सी लाख) रूपये है । परंतु तत्काल प्रश्नगत व्ययशीर्ष में उपलब्ध उपबंध 520.80 लाख रूपये है । अत: कुल 520.80 लाख रूपये का आवंटन किया जाना है ।

3.केन्द्र प्रायोजित योजना "श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन (SPMRM)" के अन्तर्गत स्वीकृत राशि 2140.80 लाख (इक्कीस करोड़ चालीस लाख अस्सी हजार) रूपये की निकासी विभागीय मांग संख्या-42 के निम्नांकित बजट शीर्षो के अन्तर्गत की जायेगी -

(A) **केन्द्रांश -** योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0218- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विपत्र कोड 42-2515001020218 -

विषय शीर्ष 3105 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों का निर्माण के तहत

कुल -1620.00 लाख (सोलह करोड़ बीस लाख) रूपये

(B) राज्यांश **-**योजना मुख्य शीर्ष-2515-अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-102-सामुदायिक विकास, उप शीर्ष-0318- श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, विपत्र कोड 42-2515001020318 -

विषय शीर्ष 31 05 सहायक अनुदान- परिसम्पत्तियों का निर्माण के तहत

कुल - 520.80 लाख (पॉच करोड़ बीस लाख अस्सी हजार) रूपये

4.स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग होंगे तथा राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से की जायेगी ।

5.निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटना द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी करते हुए योजना के कार्यान्वयन के लिए उक्त राशि BRDS (SHYAMA PRASAD MUKHERJI RURBAN MISSION)CENTRAL BANK OF INDIA, BUDH MARG (NEAR G.P.O),IFSC Code CBIN0281488 में धारित Account no.- 3519126311 के नाम से बैंक ड्राफ्ट बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे । बैंक खाते का संचालन बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसायटी के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/निधि प्रबंधक द्वारा किया जाएगा ।

6.राशि के व्यय हेतु अलग से आदेश निर्गत किया जायेगा, तदोपरान्त ही राशि व्यय की जा सकेगी ।

7.वित्त विभागीय पत्रांक 7355 दिनांक 05.10.2007 के आलोक में राशि की निकासी हेतु महालेखाकार कार्यालय से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है । राशि की निकासी के लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा, जिसके आलोक में राशि की निकासी संबंधित कोषागार से निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा की जायेगी ।

8.प्रस्ताव एवं स्वीकृत्यादेश प्रारूप में आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

9.प्रस्ताव में विभागीय मंत्री का अनुमोदन संचिका के पृष्ठ 30/टि0 पर प्राप्त है ।

विश्वासभाजन

15.3.19

(राजेश परिमल)

उप सचिव

ज्ञापांक 417185 पटना, दिनांक 15/03/19

ग्रा.वि.07(आं0)-02/2017

प्रतिलिपि:- वित्त विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, बिहार रूरल डेवलपमेंट सोसाइटी/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिचाई भवन/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी-सह-विशेष कार्य पदाधिकारी, ग्रामीण विकास विभाग/ प्रशाखा 10एवं आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार, पटनाको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

15.3.19

उप सचिव